न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
अपील संख्या 142/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नेमीचन्द आयु 50 वर्ष पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी सीतसर तहसील व जिला झुंझुनू।
2 चन्द्रावली आयु 59 वर्ष पुत्री भूराराम स्त्री हरलाल सिंह जाति जाट निवासी आदर्श स्कुल के पिदे अड़गासर रोड़ झुंझुनू।
3 संतोष आयु 56 वर्ष पुत्री भूराराम स्त्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लुटू तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 सजना आयु 53 वर्ष पुत्री भूराराम स्त्री ताराचन्द जाति जाट निवासी फतेहसरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी मदनलाल।
2 मोहनलाल पुत्र मदनलाल।
3 शीशराम पुत्र मदनलाल।
4 श्रीमती मन्जु देवी स्त्री शीशराम।
5 विकास पुत्र शीशराम।
6 अशोक पुत्र शीशराम।
7 श्रीमती गिन्नी देवी स्त्री मेघाराम।
8 रामेश्वर पुत्र मेघाराम।
9 जगदीश पुत्र मेघाराम।
10 हेमकरण पुत्र मेघाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 महावीर पुत्र तेजाराम।
12 श्रीमती कमला स्त्री महावीर समस्त जाति जाट निवासीगण सीतसर तहसील व जिला झुंझुनू।
13 श्रीमती सरोज पुत्री मदनलाल स्त्री बीरबल जाति जाट निवासी रामू की ढ़ाणी तन अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
14 श्रीमती सरबती पुत्री मेघाराम स्त्री विधाधर जाति जाट निवासी चन्दवासी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
15 श्रीमती मनकोरी पुत्री मेघाराम स्त्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
16 श्रीमती मोहनी पुत्री मेघाराम स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुंझुनू।
17 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 12.08.15 बमुकदमा उनवानी मदनलाल वगैरह बनाम शीशराम वगैरह दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 52/2012 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीश चन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.03.2019

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुंझुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 व मृतक वादी नम्बर 1 मदनलाल की और से जमीन गत खसरा नम्बर 115 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 1.20 हैक्टेयर खसरा नम्बर 491 रकबा 1.48 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 492 रकबा 0.80 हैक्टेयर वाके ग्राम आबूसर व जमीन गत खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 96 रकबा 1.80 हैक्टेयर व गत खसरा नम्बर 64 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 156 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.1 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.04 हैक्टेयर व गत खसरा नम्बर 69/3 रकबा 0.02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 77 रकबा 0.03 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 84 रकबा 6 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 222 रकबा 0.07 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 223 रकबा 0. 01 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 123 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से 6 बीघा 2 बिस्वा जमीन राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डा के लिए आवाप्त किया जाना बतलाते हुये शेष गत खसरा नम्बर 123 मीटर रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 370 रकबा 0.37 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 373/411 रकबा 0.10 हैक्टेयर व गत खसरा नम्बर 121/2/2 मीटर रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 365/410 रकबा 1.54 हैक्टेयर हैक्टेयर वाके सीतसर का पक्षकारान के पूर्वज बिशनाराम की खातेदारी की होना व उक्त बिशनाराम के चार पुत्रगण तेजाराम, मेघाराम, भुराराम व मदनलाल होना व इनका संयुक्त हिन्दु

Lario

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प ....)

परिवार होना व बाद में सम्वत 2020 में इस भूमि का विभाजन होने बाबत गतल तथ्य बतलाकर वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित तथा कथित विभाजन के अनुसार खातेदारी की घोषणा चाहने बाबत गलत इस्तदुआ करते हुये अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि यह जमीन बिशनाराम की खातेदारी की थी संवत 2020 में विभाजन हो गया था बिना सूचना के विचारण न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रख दिया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 13 के वारिसान है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अपनाये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2013 पेज 840, आर.आर.डी. 2009 पेज 310, आर.आर.टी. 2014–15 पेज 100, आर. आर.टी. 2011 पेज 229, आर.आर.डी. 2015 पेज 449, आर.आर.टी. 2011–12 पेज 698, डी.एन.जे. 2018(4) पेज 221, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 19 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 13 भूराराम के विधिक वारिसान की और से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 13 भूराराम पुत्र स्व. बिशनाराम ने दिनांक 19.04.2012 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। अब भूराराम की मृत्यु हो चुकी है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट भूराराम के विधिक वारिसान है अपीलांट भूराराम की स्वीकारोक्ती से पाबन्द है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2018 (4) पेज 1514, ए.आई.आर. एस.सी1996 पेज 941, ए.आई.आर. 1998 पेज 150 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 13 भूराराम के विधिक वारिसान की और से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 13 भूराराम पुत्र स्व. बिशनाराम ने दिनांक 19.04.2012 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार कर वादी का वाद डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। अब भूराराम की मृत्यु हो चुकी है अपीलांट भूराराम के विधिक वारिसान है अपीलांट भूराराम की स्वीकारोक्ती से पाबन्द है।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. राजस्थान 2018(4) पेज 1514 पूर्णतया चस्पा होती है इसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि " **civil procedure code, 1908 -o. 22, R. 4(2), Sec. 151; 0.8, R. 1- Application to file the independent written statement was rejected - petitioner's application for their impleadment as defendant has already dismissed by the Trial court and the High court - LR's of the deceased cannot putforth a new case and no right to file a fresh written statement - Held, No illegality or perversity in the order and upheld.**

LR's of the deceased cannot putforth a new case and no right to file a fresh written statement.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रतिवादी संख्या 13 भूराराम के विधिक वारिसान अपीलांटस की ओर से भूराराम की स्वीकारोक्ती के विपरित कथन कर प्रस्तुत की गई यह अपील पोषणीय नही पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19
(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर